



2026:AHC:37142

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या-2481/2026

हर्षिता श्रीवास्तव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: संजय कुमार पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शिव कुमार पाल, एएसजीआई.

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार पांडे और प्रतिवादियों के अधिवक्ता श्री शिव कुमार पाल को सुना गया।
2. प्रतिवादियों के अधिवक्ता श्री शिव कुमार पाल ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाई है कि इस न्यायालय के पास इस मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता है, विशेष रूप से तब जब विज्ञापन नई दिल्ली में जारी किए गए थे और चयन प्रक्रिया भी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अतः केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता बलिया का निवासी है, इस न्यायालय को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हो जाता।
3. इस तर्क के उत्तर में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता बलिया जिले का निवासी है। अतः इस न्यायालय को इस मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
4. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।
5. न्यायालय की राय में, चूंकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि विज्ञापन नई दिल्ली में प्रकाशित हुआ था और चयन प्रक्रिया भी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, इसलिए इस न्यायालय को इस मामले पर कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. तदनुसार, राजेंद्र कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ (2025) 1 यूपीएलबीईसी 108 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को दृष्टि में रखते हुए, हस्तक्षेप से इनकार किया जाता है और क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अभाव में रिट याचिका निरस्त की जाती है, हालांकि याचिकाकर्ता को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय से संपर्क करने का विकल्प खुला रखा गया है।

(विभागाध्यक्ष, न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

आशु

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”